दिनांक 13.07.2024
प्रेस विज्ञप्ति 14/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद रामपुर/थाना सिविल लाइन

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद**

दिनॉकः 13.07.2024 को थाना सिविल लाइन पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर आश्रम पद्धति कट के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त नितिन कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद हुआ।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना सिविल लाइन पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–नितिन कुमार निवासी पनवडिया लाइन पार थाना सिविल लाइन रामपुर हालपता–आवास विकास कालोनी थाना सिविल लाइन जनपद रामपुर।

बरामदगी

1–घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन।

जनपद हापुड़/थाना हाफिजपुर

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः 12.07.2024 को थाना हाफिजपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अकबरपुर मार्ग रेलवे अण्डर पास से पुरस्कार घोषित

अभियुक्त नईम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना हापुड़ नगर पर पंजीकृत गैंगेस्टर के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद हापुड़, कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 13 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना हाफिजपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—नईम निवासी रावली रोड मैन वाजार मुरादनगर थाना मुरादनगर, गाजियाबाद।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद गोरखपुर/थाना रामगढ़ताल

- **05 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोबाइल फोन बरामद**

दिनॉकः 12.07.2024 को थाना रामगढ़ताल व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मुसौली रोड थाना गगहा क्षेत्र से पुरस्कार घोषित अभियुक्त सोलू उर्फ दिव्यांश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 मोबाइल फोन बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना रामगढ़ताल पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 05 हजार रूपये का

पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद गोरखपुर के विभिन्न थानों पर चोरी आदि के 08 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना रामगढ़ताल पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सोलू उर्फ दिव्यांश निवासी दुबौली थाना गोला जनपद गोरखपुर।

बरामदगी

1–01 मोबाइल फोन।

कमिश्नरेट वाराणसी/थाना लालपुर पाण्डेय

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **चोरी किये गये ट्रक के विभिन्न पुर्जे**
- **83 हजार 100 रूपये नगद**
- **01 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार बरामद**

दिनॉकः 13.07.2024 को थाना लालपुर पाण्डेय पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गोइठहां मोड़ रिंग रोड के पास से 02 अभियुक्तों 1–विकास उर्फ लाले 2–बहादुर को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी किये गये ट्रक के विभिन्न पुर्जे, 83 हजार 100 रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 06.07.2024 को थाना लालपुर पाण्डेय क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना लालपुर पाण्डेय पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद ट्रक पुर्जे उक्त घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना लालपुर पाण्डेय पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विकास उर्फ लाले निवासी ग्राम अटेसुआ थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी।

2–बहादुर निवासी पूर्वी रौजा थाना नगर जनपद सारण(छपरा) बिहार।

बरामदगी

1–चोरी किये गये ट्रक के विभिन्न पुर्जे।

2–83 हजार 100 रूपये नगद।

3–01 मोबाइल फोन।

4–घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार।

जनपद अम्बेडकरनगर/थाना अहिरौली

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 06 मोटर साइकिल**
- **चोरी की 01 कम्प्यूटर सेट मय प्रिन्टर बरामद**

दिनॉकः 13.07.2024 को थाना अहिरौली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मुस्लिम पट्टी पुल के पास से 02 अभियुक्तों 1–सौरभ उर्फ मनीष 2–अनुज उर्फ आदर्श को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 06 मोटर साइकिल, चोरी की 01 कम्प्यूटर सेट मय प्रिन्टर बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना अहिरौली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सौरभ उर्फ मनीष निवासी मडियावां थाना अहिरौली जनपद अम्बेडकरनगर।

2–अनुज उर्फ आदर्श निवासी ग्राम छितनपट्टी थाना भीटी जनपद अम्बेडकरनगर।

बरामदगी

1—चोरी की 06 मोटर साइकिल।

2— चोरी की 01 कम्प्यूटर सेट मय प्रिन्टर ।

एनएनटीएफ ऑपरेशनल यूनिट बरेली

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 30 लाख (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 03 किलोग्राम अवैध अफीम बरामद**

दिनॉकः 12.07.2024 की रात्रि ए0एन0टी0एफ0 ऑपरेशनल यूनिट बरेली द्वारा सूचना के आधार पर रामनगर रोड नई कट कस्बा व थाना ऑवला जनपद बरेली से अभियुक्त ताहिर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 30 लाख (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 03 किलोग्राम अवैध अफीम बरामद हुआ।

इस सम्बन्ध में थाना ऑवला जनपद बरेली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—ताहिर निवासी ग्राम जंगतीरा थाना ऑवला जनपद बरेली।

बरामदगी

1—लगभग 30 लाख (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 03 किलोग्राम अवैध अफीम।

दिनांक 13.07.2024
प्रेस विज्ञप्ति 15/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा कानून–व्यवस्था, अपराध नियत्रण, आगामी त्यौहारों एवं तीन नये कानूनों के कियान्वयन आदि के सम्बन्ध में की गयी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा आज दिनांक 13.07.2024 को समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त उ0प्र0 के साथ कानून–व्यवस्था/अपराध नियत्रण, आगामी त्यौहारों एवं प्रदेश में तीन नये कानून के क्रियान्वयन आदि के सम्बन्ध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की गयी तथा मुख्यतः निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यवाही के निर्देश दिये गये :–

- **आगामी त्यौहारों** में सुदृढ़ व्यवस्थापन के दृष्टिगत मुख्यालय स्तर से समय –समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन कराते हुये धर्मगुरूओं, कार्यक्रम/जलूस के आयोजको, सभ्रान्त नागरिकों आदि से निरन्तर संवाद बनाये रखा जाय। पीस कमेटी, शान्ति समितियों की गोष्ठी कर ली जाय तथा डिजिटल वालेन्टियर्स एवं सिविल डिफेन्स का सक्रिय सहयोग लिया जाये।
- थाने पर उपलब्ध त्यौहार रजिस्टर व अन्य अभिलेखों को अध्यावधिक रखा जाय ताकि त्यौहारों आदि के समय पर उनका अवलोकन कर तद्नुसार समस्त कार्यवाही समय से पूर्ण करा ली जाय। किसी नयी परम्परा की अनुमति न दी जाये।
- दिनॉकः 01 जुलाई 2024 से सम्पूर्ण भारत वर्ष में तीन नये कानून लागू किये जाने की प्रक्रिया में आवश्यक संसाधनों की खरीदारी हेतु पूर्व में बजट आबंटित हो चुका है। उक्त संसाधनों की खरीदारी अतिशीघ्र पूर्ण कर ली जाये।
- **महिलाओं एवं बच्चों से सम्बन्धी अपराधों** पर अत्यधिक संवेदनशील होने की आवश्यकता है। महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराधों को अत्यधिक गम्भीरता से लेते हुए अभियुक्तों के विरूद्ध त्वरित वैधानिक कार्यवाही की जाये। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाये।
- सभी अधिकारीगण समय से कार्यालय में बैठकर **जनसुनवाई** करें एवं जन शिकायतों का संवेदनशीलता के साथ यथोचित, विधिक, समयबद्ध निस्तारण कराया जाये।
- **जन सुनवाई** के दौरान गरीब जनता की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर सुनी जाय तथा उनका त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण कराया जाय।
- जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्राप्त होने वाली वाली शिकायते आवश्य सुनी जाय तथा उनसे निरन्तर संवाद बनाये रखा जाय।

- माफियाओं तथा पेशेवर अपराधियों का चिन्हाकंन कर उनके विरूद्ध योजनाबद्ध तरीके से प्रभावी वैधानिक कार्यवाही की जाये तथा पूर्व में पंजीकृत माफिया गैंग के सभी सदस्यों के विरूद्ध सफल अभियोजन, सम्पत्ति जब्तीकरण व अन्य विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- कावड़ यात्रा को सुगम व सुरक्षित बनाने हेतु यात्रा के दौरान समीप के प्रान्त/जनपदों के अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समन्वय बनाया रखा जाय तथा लाभप्रद सूचनाओं का समय से आदान प्रदान किया जाये।
- कावड़ यात्रा के दौरान प्रमुख मार्गो पर भीड़ का पूर्वानुमान करते हुये उन मार्गो पर बैरीकेटिंग एवं डायवर्जन के स्थानों का पूर्व से ही चिन्हित कर लिया जाय, ताकि आवश्यकतानुसार समय से बैरीकेटिंग एवं डायवर्जन की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जा सके।
- जुलूस मार्गो पर स्थापित सीसीटीवी कैमरों को सक्रिय रखा जाय तथा सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी रखी जाये।
- रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन आदि स्थानों पर विशेष रूप से सुरक्षा प्रबन्ध किये जाय तथा सुरक्षा कर्मियों को ब्रीफ करने के उपरान्त ड्यिूटी पर लगायी जाये।
- त्यौहारों के अवसर पर भीड़ प्रबन्धन एवं भीड़ नियत्रण के सिद्धान्तों पर अमल करते हुये पूर्व से ही प्लानिंग एवं तकनीक का प्रयोग कर व्यापक इन्तजाम किये जाये।
- थाने के स्थानीय पुलिस पेट्रोलिंग वाहनों को निरन्तर भ्रमणशील रखा जाय तथा यूपी–112 के वाहनों का व्यवस्थापन संवेदनशील मार्गो, स्थलों पर किया जाय।
- पोस्टर पार्टी एवं मॉर्निंग चेकिंग टीम का गठन किया जाय तथा पोस्टर पार्टी को नियमित रूप से प्रातः काल निकाला जाय।
- आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अभिसूचना तंत्र को और अधिक सक्रिय रखा जाय तथा छोटी से छोटी सूचना को अत्यन्त गम्भीरता से लेते हुये तत्परता पूर्वक यथोचित विधिक कार्यवाही की जाये।
- सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मो पर 24X7 सर्तक दृष्टि रखी जाय। सोशल मीडिया पर रिस्पान्स टाइम और अधिक तेज किया जाये तथा भ्रामक/आपत्ति जनक पोस्ट, अफवाहों का तत्काल संज्ञान लेते हुये अफवाहों का खण्डन कराया जाय एवं वैधानिक कार्यवाही की जाये।
- अपराधियों के कन्विक्शन पर अत्यधिक ध्यान दिया जाय तथा आपरेशन कन्विक्शन के तहत पूर्व निर्गत निर्देशों के अनुसार मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी कराकर अधिक से अधिक अभियोगों में अभियुक्तों को सजा दिलाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- जनपदों के जनपद प्रभारियों द्वारा नियमित रूप से पुलिस लाइन निरीक्षण करें तथा पायी जाने वाली कमियों का समय से समाधान करायें।

- **सोशल मीडिया** के विभिन्न प्लेटफार्मो पर सर्तक दृष्टि रखते हुए मुख्यालय स्थित सोशन मीडिया सेन्टर से समन्वय बनाये रखा जाये तथा सोशल मीडिया पर रिस्पान्स टाइम और अधिक तेज किया जाये। भ्रामक/आपत्ति जनक पोस्ट, अफवाहों का तत्काल संज्ञान लेते हुये अफवाहों का खण्डन कराया जाय एवं वैधानिक कार्यवाही की जाये।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय ने समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन प्रतिनिधियों से निरन्तर संवाद बनाये रखे तथा जनशिकायतों का समय से त्वरित निस्तारण कराये अन्यथा सम्बन्धित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जायेगी।